Remove Watermark Now

कीमत 100/–

निगम का अधिकृत विक्रेता बनने के लिये

प्रार्थना–पत्र

सेवामें,

श्रीमान् प्रबन्ध निदेशक महोदय,
राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि.,
''कृषि भवन'' भगवान दास रोड़,
जयपुर – 302 004

1. संस्था का नाम (मोटे अक्षरों में)..
2. संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम व पद..
3. ड़ाक का पता..
   ....
4. पुलिस स्टेशन...रेलवे स्टेशन..
5. पंचायत समिति..जिला...
6. टेलिफोन नं0(यदि कोई हो)..................................तार का पता...
7. मिल्कियतः प्रोपराईटरी/पार्टनरशिप/सहकारी/प्राइवेट लिमिटेड/अन्य...
   (कृपया मिल्कियत के साक्ष्य कागजात की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
8. फर्म का रजिस्ट्रेशन नम्बर...
9. व्यावसायिक स्थान...
10. गोदाम/दुकान का स्थान व पता..
11. इस क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव...
12. आपके बैक का नाम व पता..
    (जिससे संपर्क किया जा सके)
13. क्षेत्र का नाम जिसके आप विक्रेता बनना चाहते है...
14. वर्तमान टर्न ओवर रू0..
15. क्या आप पहले से कृषि उपज से सबंधित एजेन्ट (डीलर) है...

pdfelement

घोषणा–पत्र

1. मैंने/हमने विक्रेता बनने के नियम व शर्ते पढ़ ली है तथा नियम व शर्ते मुझे/हमें मान्य है
2. जहां तक मुझे/हमें विदित है? मेरे/हमारे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण सही है

प्रार्थी के हस्ताक्षर मय सील

(कार्यालय के प्रयोग के लिए)

1. आवेदन शुल्क का विवरण : रसीद सं.................दिनांक.................राशि.............कार्यालय.....................
2. अधिकृत विक्रेता अमानतः : रसीद सं..................दिनांक.................राशि.............कार्यालय.....................
   राशि का विवरण

हस्ताक्षर

Remove Watermark Now

अधिकृत विक्रेता बनने के अनुबंध के लिए सामान्य नियम व शर्तें

1. यह कि मैसर्स राजस्थान स्टेट सीड्स कॉपोरेशन लिमिटेड, जिसे प्रधान विक्रेता कहा है, के निर्णय के अन्तर्गत निर्धरित क्षेत्र..... (पंचायत समिति का नाम) के लिए मैसर्स..... प्रमाणित बीज व सत्यचिन्हित बीज वितरण हेतु ''अधिकृत विक्रेता'' नियुक्त किया जाता है।
2. प्रत्येक विक्रेता को प्रधान विक्रेता की ओर से नियुक्ति पत्र, प्रमाण पत्र, ग्लोसाइन बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड आदि $1^{1/}_{2}$ X $1^{1/}_{2}$ फुट जारी किया जावे तथा इन्हें विक्रेता को अपने विक्रय केन्द्र पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना होगा। इस अनुबन्ध के समाप्त होने पर यह नियुक्ति पत्र, प्रमाण पत्र एवं ग्लोसाइन बोर्ड तथा और भी वस्तु जो प्रधान विक्रेता को ही उसे लौटानी होगी।
3. अधिकृत विक्रेता को नियुक्ति हेतु फार्म रू.100/– तथा अमानत राशि सर्वप्रथम 2,000/– प्रधान विक्रेता के पास जमा कराने होगे, जिस पर प्रधान विक्रेता द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। अधिकृत विक्रेता द्वारा सकल कारोबार रूपयें 25 लाख से अधिक करने पर कुल अमानत राशि रूपयें 25,000/– निगम के पास जमा कराने होगे, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
4. अधिकृत विक्रेता उसी तिथि से माना जायेगा, जिस तिथि से प्रधान विक्रेता व अधिकृत विक्रेता के अनुबन्ध पर हस्ताक्षर हो जायेगे। अन्यथा नियुक्ति पत्र में दर्शायी गयी तिथि से।
5. अधिकृत विक्रेता अपने क्षेत्र के अतिरिक्त किसी भी बाहर क्षेत्र में बीज विक्रय का कार्य नहीं करेगे, न ही अपने क्षेत्र के बाहर प्रधान विक्रेता की अनुमति बिना बीज भेजेगे। प्रधान, विक्रेता द्वारा जांच में प्रथम बार सत्य पाई गई शिकायत पर माल भेजने वाले अधिकृत विक्रेता के सकल कारोबार में कम करते हुए सम्बन्धित क्षेत्र के अधिकृत विक्रेता के सकल कारोबार मे उक्त ट्रांजैक्शन की गणना की जाएगी। पुनः दूसरी शिकायत पर जांच उपरान्त सही पाये जाने पर अधिकृत विक्रेता की नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
6. अधिकृत विक्रेता द्वारा निर्धरित क्षेत्र में कार्यरत अन्य अधिकृत विक्रेताओं को निगम की विपणन नीति के अनुसार व्यापारिक छूट अनिवार्य रूप से देनी होगी। इस बाबत् शिकायत मिलने तथा पुष्टि होने पर सम्बन्धित अधिकृत विक्रेता की नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
7. अधिकृत विक्रेंता को बीज वितरण पर निगम द्वारा जारी की गई विक्रय दर सूचना पट्ट पर स्पष्ट अंकित करना अनिवार्य होगा। अधिकृत विक्रेता द्वारा निगम द्वारा निर्धारित खुदरा विक्रय दर से अधिक दर पर विक्रय करने की शिकायत मिलने तथा पुष्टि होने पर संबंधित अधिकृत विक्रेता की नियुक्ति तत्काल निरस्त करने के साथ–साथ जमा अमानत राशि को भी जब्त किया जायेगा। ऐसे प्रकरणों में प्रधान विक्रेता द्वारा यदि कोई अन्य शक्ति भी आरोपित की जाती है तो अधिकृत विक्रेता उसे प्रधान विक्रेता को देने हेतु बाध्य होगा।
8. अधिकृत विक्रेता प्रधान विक्रेता की खरीफ फसल के बीजों को कम से कम 15,000 रू. तक (कर के अतिरिक्त) एवं रबी फसल के बीजों को कम से कम 25,000 रू. मूल्य तक (कर के अतिरिक्त) प्रति वर्ष बेचने को बाध्य होगा, अन्यथा उसका नवीनीकरण बिना मुख्यालय की अनुमति के नहीं किया जायेगा। अधिकृत विक्रेता उक्त बीज क्रय निगम के किसी भी अधिकृत श्रोत से कर सकेगा।
9. अधिकृत विक्रेता बीज की अनुमानित मांग प्रधान विक्रेता को निम्न प्रकार सूचित करेगे।

खरीफ बीज हेतु	– 30 मार्च तक
रबी बीजों हेतु	– 31 जुलाई तक
कपास हेतु	– 30 जनवरी तक
जायद हेतु	– 15 जनवरी तक

10. बीज की मात्रा आरक्षण कराते समय बीज की कीमत का कम से कम 10 प्रतिशत अथवा प्रधान विक्रेता द्वारा तय कीमत अग्रिम बतौर जमा कराना आवश्यक है। इस रकम पर प्रधान विक्रेता द्वारा ब्याज देय नही होगा परन्तु कुछ विशेष छूट प्रधान विक्रेता द्वारा निर्धारित किए अनुसार देय हो सकती है।
11. प्रधान विक्रेता द्वारा प्रमाणित बीज अधिकृत विक्रेता को नकद कीमत पर ही बीज दिया जायेगा। इसमें अग्रिम राशि अथवा आरक्षण राशि समायोजित कर ली जावेगी। बीज की कीमत संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय अथवा मुख्यालय पर जमा करानी होगी। साधारणतः बीज क्रय का हिसाब उसी एक कार्यालय में रखा जावेगा, जहां सर्वप्रथम अधिकृत विक्रेता द्वारा अपना खाता आरंभ किया गया है, किन्तु ऐसे खाते का स्थानान्तरण प्रधान विक्रेता के आदेश से उनके अन्य कार्यालय में भी किया जा सकेगा।
12. बीज विक्रय को सुगम बनाने के उदेश्य से एक साथ 45 क्विंटल अथवा अधिक एक साथ मात्रा उठाने पर एफ. ओ.आर. सुविधाा उसके पंचायत समिति तक तथा नामांकित विक्रेता को उसके दुकान/गोदम तक देय होगी। इसकी पुष्टि सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्रीय/संयत्र प्रबन्धक द्वारा की जावेगी।
13. प्रधान विक्रेता द्वारा अधिकृत विक्रेता को बीज वितरण पर निगम द्वारा जारी की गई विक्रय दर सूची व लागू नियमों के अन्तर्गत व्यापारिक छूट दिया जायेगा।
14. बीज विक्रय की सूचना प्रधान विक्रेता को अधिकृत विक्रेता द्वारा प्रत्येक माह की 7 तारीख तक मय काश्तकारों की सूची सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला एवं अन्य पिछड़ा वर्ग सहित एक प्रति क्षेत्रीय/संयंत्र प्रबंधक को तथा दूसरी प्रति मुख्यालय को प्रेषित करनी होगी तथा मांगी जाने पर विक्रय का

PdfElement

Remove Watermark Now

पूर्ण विवरण निर्धारित समय में देने हेतु अधिकृत विक्रेता बाध्य होगा। इस हेतु प्रधान विक्रेता द्वारा एक प्रारूप नियुक्ति पत्र के साथ ही दिया जायेगा।

15. प्रमाणित बीज की जितनी मात्रा अधिकृत विक्रेता को उनकी मांग पर प्रधान विक्रेता द्वारा दी जावेगी उसके विक्रय की जिम्मेदारी अधिकृत विक्रेता की होगी। बकाया मात्रा प्रधान विक्रेता वापस नहीं लेगा।
16. अधिकृत विक्रेता केवल वही बीज बेच सकेगा जो प्रधान विक्रेता द्वारा गारन्टी किये हुए है अर्थात् विजातीय बीजों रहित, बराबर दाने वाले, परिशोधित, आवश्यक कीटनाशक औषधियों से युक्त बोरे अथवा थैली में बंद, टैग युक्त तथा सील बंद बीज ही विक्रय किए जाएगे। बीजों के उच्च स्तरीय गुण प्रभावपूर्ण ढ़ंग से बनाये रखे जायेगे। किसी भी प्रकार के निम्न स्तर के बीज विक्रय नहीं किए जाऐगे। बीजों की थैलियां अथवा बोरियां सील बन्द रखेगे व उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन अथवा मिलावट नहीं करेगा। अधिकृत विक्रेता बीज प्राप्त करते समय उस बीज के भीगा होने अथवा अन्य वास्तविक कारण से निर्धारित स्तर से नीचा पाये तो उस बीज को प्राप्त नहीं करेगा अथवा ऐसा बीज प्राप्त करने पर तुरंत वितरण रोक कर प्रधान विक्रेता को फैक्स व अन्य शीघ्र संचार माध्यमों द्वारा सूचित करेगा, जिससे कि खराब बीज के तुरन्त निरीक्षण के पश्चात् उत्तरदायित्व निर्धरित किया जा सके व अधिकृत विक्रेता उस बीज को प्रधान विक्रेता के आदेश पर ही वितरण कर सकेगा। बीजों में किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा मिलावट करने पर अधिकृत विक्रेता की नियुक्ति तत्काल निरस्त करने के साथ–साथ जमा अमानत राशि को जब्त किया जावेगा।
17. अधिकृत बीज विक्रेता प्रधान विक्रेता द्वारा दिये गये बीज को उनके मौलिक पैकिग में ही बेचने को बाध्य होंगे और किसी भी परिस्थितियों में बीज बेचने से पूर्व न तो सील तोडी जायेगी और न ही माकिंग में कोई परिवर्तन किया जावेगा और न पैकिंग को दुबारा बीज भर कर बेचने के काम में लिया जावेगा।
18. अधिकृत विक्रेता के पास समुचित गोदाम की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे बीजों की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होवे। विक्रेता के गोदाम का निरीक्षण प्रधान विक्रेता के सक्षम अधिकारी अथवा कानूनी रूप से सक्षम गुण नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। अधिकृत विक्रेता द्वारा खराब गुणवत्ता का बीज किसानों को नहीं बेचा जावें। इस स्थिति में समस्त जिम्मेदारी अधिकृत विक्रेता की होगी।
19. यदि कोई अधिकृत विक्रेता दी गई तिथि तक आरक्षित की गयी मात्रा को उठाने में असमर्थ रहता है, तो प्रधान विक्रेता इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह मांग के साथ धनराशि जब्त कर लें, आरक्षित मात्रा से कम बीज उठाने पर उठाई गई मात्रा के मूल्य में आरक्षण हेतु जमा राशि उठायी गई मात्रा की प्रतिशतता के अनुसार समायोजित कर दी जाएगी। प्रधान विक्रेता द्वारा पुष्टि की गई आरक्षित मात्रा नियत तिथि तक उपलब्ध नहीं करा पाने की स्थिति में प्रधान विक्रेता द्वारा अधिकृत विक्रेता को क्षतिपूर्ति उनके प्रभावी नियमों के अनुसार दी जा सकेगी।
20. यदि किसी कारण अधिकृत विक्रेता द्वारा समय पर बीज की डिलीवरी नहीं ली जाती है अथवा बीज खराब हो जाता है अथवा नष्ट हो जाता है तो उससे होने वाली हानि की जिम्मेदारी अधिकृत विक्रेता की हेागी जिसे मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्रधान विक्रेता द्वारा उससे वसूल करने का अधिकार होगा।
21. अधिकृत विक्रेता द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्तं को तोडने अथवा पूरी नहीं करने पर व्यापारिक छूट, अग्रिम आरक्षण राशि अथवा जमा अमानत राशि को जब्त करने के अधिकार के अतिरिक्त अनुबंध तोडने व पालन न करने के एवज में हानि का दावा करने का अधिकार भी प्रधान विक्रेता सुरक्षित रखता है।
22. यह अनुबंध पांच वर्ष दिनांक.....से दिनांक..... तक प्रभावी रहेगा। शर्तं संख्या 7 के अनुसार विक्रय करने, अन्य शर्तों की पालना करने तथा नवीनीकरण शुल्क रूपयें 50 प्रतिवर्ष की दर से अदा करने पर एक साथ अधिकतम 3 वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा।
23. अधिकृत विक्रेता व प्रधान विक्रेता के बीच नियमावली की शर्तों अथवा बीज विक्रय संबंधी अनुबंध के अधीन किसी भी मामले में विवाद उत्पन्न हो जाये तो माननीय अध्यक्ष राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पो. लि. का निर्णय अंतिम होगा, जो दोनो पक्षों को मान्य होगा।
24. पक्षकारों द्वारा आपस में इस बात पर सहमति प्रकट की जाती है कि इस अनुपत्र की आपत्ति या इस बाबत् न्याय निर्णय हेतु केवल जयपुर स्थित न्यायालय का ही अधिकार क्षेत्र होगा।

अधिकृत विक्रेता के हस्ताक्षर
(मय फर्म की सील सहित)

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
राजस्थान स्टेट सीड्स का. लि. जयपुर की ओर से एवं के लिए

साक्षीः–

1. हस्ताक्षर, नाम व पताः–

2. हस्ताक्षर, नाम व पताः–

PdFelement